

[2023] 7 एस. सी. आर. 964

भास्कर और एक अन्य

बनाम

अयोध्या जेवेलर्स

(सिविल अपील संख्या 3844/2023)

10 मई, 2023

[अभय एस. ओका, न्यायाधीश और राजेश बिंदल, न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश XXI, नियम 92, 94, 95-सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 134-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्या है: अभिनिर्धारित: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के नियम 92 के उपनियम (1) एवं नियम 94 के संयुक्त पठन पर XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के तहत बिक्री की पुष्टि का आदेश आदेश XXI के नियम 94 के तहत बिक्री प्रमाण पत्र के अनुदान में समाप्त होता है-बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल की जाने वाली बिक्री की तारीख बिक्री पुष्टि के आदेश के पारित होने की तारीख है-यह तथ्य कि आदेश XXI के नियम 94 में बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता शामिल है, यह दर्शाता है कि विधानमंडल का विचार था कि केवल नीलामी की पुष्टि का आदेश पर्याप्त नहीं हो सकता है-प्रमाण पत्र अंततः इस तथ्य का प्रमाण है कि जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसके पक्ष में नीलामी की पुष्टि निष्पादन न्यायालय द्वारा की गई है-प्रथम दृष्टया, दीवानी प्रक्रिया संहिता का नियम 95 एवं सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 134 के बीच असंगति से बचने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि अनुच्छेद 134 में यह पढ़ा जाय कि दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI का नियम 95 के तहत उपयोग करने की प्रारंभिक बिंदु वह तारीख है जिस पर एक प्रमाण-पत्र

जिनमे नीलामी बिक्री की संपुष्टि दर्ज है वास्तव में क्रेता को जारी की जाती है- पत्तम खादर खान के मामले में समकक्ष पीठ का निर्णय वृहत पीठ के द्वारा पुनर्विचारण की आवश्यकता को दर्शाता है- न्यायालय के विचार में दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI का नियम 95 के तहत उपयोग करने की प्रारंभिक बिंदु से संबंधित मामला का निर्णय वृहत पीठ को करना होगा।

एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2010) 8 एससीसी 24:[2010] 8 एससीआर 1053; इंको यूरोप लिमिटेड और अन्य बनाम प्रथम विकल्प वितरण (एक फर्म) और अन्य (2000) 2 ऑल ई. आर. 109; सुरजीत सिंह कालरा बनाम भारत संघ और एक अन्य (1991) 2 एससीसी 87:[1991] 1 एससीआर 364-पर निर्भर था।

यूनाइटेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाम एम. एस. एम. हनीफा (मृत) टी.एच.आर. एल.आर.एस. (2017) 3 एससीसी 123:[2017] 1 एस. सी. आर. 583-संदर्भित।

पट्टम खादर खान बनाम पट्टम सरदार खान और एक अन्य (1996) 5 एससीसी 48:[1996] 3 पूरक एस. सी. आर. 320-पुनर्विचार की आवश्यकता है।

वाद विधि संदर्भ

[2017] 1 एससीआर 583	संदर्भित	कंडिका 3
[1996] 3 पूरकएस. सी. आर. 320	पुनर्विचार आवश्यक	कंडिका 4
[2010] 8 एससीआर 1053	भरोसा किया	कंडिका 15

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3714/2018 से उद्भूत।

सी. आर. पी. सं. 181/2016 में एर्नाकुलम स्थिरता केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2017 के निर्णय और आदेश से।

श्रीगेश एम. के., सुश्री नेहा शर्मा, महेश अग्रवाल, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

अरुण के. सिन्हा, शरद अग्रवाल, रोहन गोयल, राकेश सिंह, प्रतिवादी के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दी गई।

वास्तविक पहलू

2. इस अपील में विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु है।

3. अपीलार्थियों द्वारा की गई इस अपील की संपत्ति विषय वस्तु को सार्वजनिक नीलामी में अपीलार्थियों के खिलाफ पारित डिक्री के निष्पादन में बेचा गया था। प्रत्यर्थी संपत्ति का खरीदार होता है। सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के अनुसार बिक्री की पुष्टि का आदेश 16 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के तहत बिक्री प्रमाण पत्र निष्पादन न्यायालय द्वारा 5 फरवरी 2010 को प्रतिवादी को जारी किया गया था। 27 जुलाई 2010 को प्रतिवादी ने सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 के तहत निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को निष्पादन न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। अपीलार्थियों ने उक्त आदेश की

समीक्षा के लिए आवेदन किया। पुनरीक्षण की प्रार्थना निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के समक्ष एक दीवानी संशोधन आवेदन दायर करके निष्पादन न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी। 11 अप्रैल 2017 के फैसले के द्वारा, जो इस अपील में विवादित है, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया कि आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख थी जिस पर निष्पादन न्यायालय द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने यूनाइटेड फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम एम. एस. एम. हनीफा (मृत) टी.एच.आर. एल.आर.एस. मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

दलों की प्रस्तुतियाँ

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 134 (संक्षेप में, 'सीमा अधिनियम') की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 134 विशेष रूप से सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 के तहत किए गए आवेदन पर लागू होता है। यह बिक्री पूर्ण होने की तारीख से इस तरह का आवेदन दाखिल करने के लिए एक वर्ष का प्रावधान करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले में, बिक्री की पुष्टि 16 जुलाई 2009 को की गई थी, और प्रतिवादी द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के बाद यानी 27 जुलाई 2010 को आवेदन दायर किया गया था। उन्होंने पट्टम खादर खान बनाम पट्टम सरदार खान एवं एक अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु वह तिथि है जिस पर नीलामी बिक्री को सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के अनुसार पूर्ण किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यूनाइटेड फाइनेंस कॉरपोरेशन के वाद में निर्णय पर भरोसा करके त्रुटि की है। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन, उस आदेश के खिलाफ जिसके द्वारा बिक्री का आवेदन रद्द कर

दरकिनार कर दिया गया था, दायर की गई थी, जिसमें आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। सीमा की गणना करते समय, रोक की अवधि को बाहर रखा गया था और इस तरह इस न्यायालय ने माना कि उक्त मामले में किया गया आवेदन सीमा के भीतर था।

5. विवादित आदेश के समर्थन में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का निवेदन है कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन सीमा अधिनियम के अवशिष्ट अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगा, जो तीन साल की सीमा की अवधि प्रदान करता है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेगा कि जो भी हो, यूनाइटेड फाइनांस कॉर्पोरेशन वाद में इस न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से लागू किया गया है।

हमारा दृष्टिकोण

6. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 92, 94 और 95 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:

"92. बिक्री, कब पूर्ण होना है या अलग रखा जाना है।

(1) जहां नियम 89, नियम 90 या नियम 91 के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, वहां न्यायालय बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश देगा, और उसके बाद बिक्री पूर्ण हो जाएगी।

बशर्ते कि, जहां किसी संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में बेचा जाता है, जहां ऐसी संपत्ति के किसी दावे का अंतिम निपटान या कुर्की पर कोई आपत्ति लंबित है, वहां न्यायालय ऐसे दावे या आपत्ति के अंतिम निपटान तक ऐसी बिक्री की पुष्टि नहीं करेगा।

(2) जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और अनुमति दी जाती है, और जहां नियम 89 के तहत किसी आवेदन के मामले में, उस नियम द्वारा अपेक्षित जमा बिक्री की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाता है, या ऐसे मामलों में जहां नियम 89 के तहत जमा की गई राशि जमाकर्ता की ओर से किसी लिपिक या अंकगणितीय गलती के कारण कम पाई जाती है और ऐसी कमी को ऐसे समय के भीतर ठीक कर दिया गया है जो अदालत द्वारा तय किया जाए, न्यायालय बिक्री को रद्द करने का आदेश देगा। बशर्ते कि कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना सभी प्रभावित व्यक्तियों को नहीं दी गई है:

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत जमा ऐसे सभी मामलों में साठ दिनों के भीतर किया जा सकता है जहां तीस दिन की अवधि, जिसके भीतर जमा किया जाना था, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पहले समाप्त नहीं हुआ है।

(3) इस नियम के तहत किए गए आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जाएगा जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।

(4) जहां कोई तीसरा पक्ष नीलामी-खरीदार के खिलाफ मुकदमा दायर करके निर्णय-ऋणदाता के अधिकार को चुनौती देता है, तो डिक्री-धारक और निर्णय-ऋणदाता मुकदमे के लिए आवश्यक पक्ष होंगे।

(5) यदि उपनियम (4) में निर्दिष्ट वाद का आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय डिक्री धारक को नीलामी-खरीदार को धन वापस करने का निर्देश देगा, और जहां ऐसा आदेश पारित किया जाता है, तो

निष्पादन कार्यवाही जिसमें बिक्री आयोजित की गई थी, जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश नहीं देती है, उस स्तर पर पुनर्जीवित की जाएगी जिस पर बिक्री का आदेश दिया गया था।

... ..

"94. खरीदार को प्रमाण पत्र- जहां अचल संपत्ति की बिक्री पूर्ण हो गई है, वहां न्यायालय बेची गई संपत्ति और उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिसे बिक्री के समय खरीदार घोषित किया गया है। इस तरह के प्रमाण पत्र पर उस दिन की तारीख होगी जिस दिन बिक्री पूर्ण हो गई थी।

95. निर्णय-ऋणदाता के अधिभोग में संपत्ति का वितरण - जहां बेची गई अचल संपत्ति निर्णय ऋणदाता के अधिभोग में है- या उसकी ओर से किसी व्यक्ति का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो निर्णय देनदार द्वारा बाद में बनाई गई उपाधि के तहत ऐसी संपत्ति की कुर्की और प्रमाण पत्र का दावा करता है। उनके संबंध में नियम 94 के तहत अनुमति दी गई है, न्यायालय, खरीदार के आवेदन पर, ऐसे खरीदार या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह अपनी ओर से संपत्ति प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकता है, संपत्ति के कब्जे में रख कर और यदि आवश्यक हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को हटा कर जो उसे खाली करने से इनकार करता है, वितरण का आदेश देगा।"

(जोर दिया गया)

7. सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 134 भी सात्वान है, जो इस प्रकार है:

	आवेदन का विवरण	सीमा की अवधि	जिस समय से अवधि प्रारंभ होती है
134.	अचल संपत्ति के क्रेता के कब्जे के सुपुर्दगी के लिए बिक्री पर डिक्री/आदेश का संपादन	एक वर्ष	जब बिक्री पूर्ण हो जाती है।

8. अनुच्छेद 134 में प्रावधान है कि आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख है जिस पर बिक्री की पुष्टि की जाती है। आदेश XXI के नियम 92 के तहत, निष्पादन न्यायालय को बिक्री की पुष्टि का आदेश देते हुए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। उक्त आदेश पारित होने पर, बिक्री निरपेक्ष हो जाती है। आदेश XXI के नियम 94 में खरीदार को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रमाण पत्र की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन बिक्री पूर्ण हो गई थी। सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 के सरल पठन दो शर्तों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- i. बेची गई अचल संपत्ति निर्णय-देनदार या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या निर्णय-देनदार द्वारा बनाए गए स्वामित्व के तहत दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, संपत्ति की कुर्की के बाद; और
- ii. सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के तहत बिक्री के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया गया है।

केवल तभी जब दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो निष्पादन न्यायालय, खरीदार के आवेदन पर, खरीदार को नीलाम की गई संपत्ति के कब्जे में रखने के कब्जे के वितरण का आदेश पारित करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार, एक ओर, आदेश XXI का नियम 95 अनिवार्य करता है कि नीलामी-खरीदार द्वारा नीलामी की गई संपत्ति के कब्जे के लिए आवेदन आदेश XXI के नियम 94 के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 134 के अनुसार, आदेश XXI के नियम 95 के

तहत आवेदन करने का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख है जिस पर आदेश XXI के नियम 92 के अनुसार बिक्री को पूर्ण किया जाता है। सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना निष्पादन न्यायालय का दायित्व है। व्यवहार में, हम अक्सर बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने में पर्याप्त देरी देखते हैं। इस मामले में, देरी छह महीने से अधिक की है। कई मामलों में, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने में प्रक्रियात्मक देरी होती है जिसके लिए नीलामी खरीदार को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है।

9. पट्टम खादर खान मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 11 और 12 का पाठ इस प्रकार है:

"11. निर्णय-ऋणदाता आदि के कब्जे में संपत्ति के वितरण की प्रक्रिया के लिए आदेश 21 नियम 95 में खरीदार द्वारा संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए एक आवेदन की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में आदेश 21 के नियम 94 के तहत एक प्रमाण पत्र दिया गया है। नियम 95 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे खरीदार के लिए आवेदन के साथ प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य हो। बिक्री पूर्ण होने पर, प्रमाणपत्र जारी करना अदालत के लिए अनिवार्य है। इसमें किसी भी कारण से देरी हो सकती है। चाहे प्रमाणपत्र जारी करने में विफलता हो या अदालत की ओर से कार्रवाई में देरी हो या कानूनी आवश्यकताओं और औपचारिकताओं को पूरा करने में खरीदार की निष्क्रियता, ऐसे कारक हैं जिनका आवेदन के लिए निर्धारित सीमा पर कोई असर अनुच्छेद 134 के तहत नहीं पड़ता है। खरीदार इस आधार पर सीमा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता कि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। यह सच है कि कब्जे की डिलीवरी का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना आवेदन की

"अनिवार्य शर्त" नहीं है, क्योंकि ये दोनों मामले एक ही अदालत में हैं। आवेदन के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख है जब बिक्री पूर्ण हो जाती है अर्थात् वह तारीख जिस पर स्वामित्व पारित किया जाता है, स्वामित्व का प्रमाण, बिक्री प्रमाण पत्र के रूप में, अदालत से देय, हमेशा बाद में अदालत को प्रदान किया जा सकता है ताकि आदेश 21 नियम 95 की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस संबंध में बाबूलाल नाथूलाल बनाम अन्नपूर्णाबाई [ए. आई. आर. 1953 नाग 215:आई. एल. आर. 1953 नाग 557], जो एक सूचक है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय नीलामी-खरीदार का अधिकार आदेश 21 नियम 92 के तहत बिक्री की पुष्टि पर पूरा हो जाता है, और सी. पी. सी. की धारा 65 के आधार पर, संपत्ति बिक्री की तारीख से खरीदार में निहित होती है; बिक्री का प्रमाण पत्र, अपने आप में, कोई अधिकार नहीं बल्कि केवल उसका सबूत बनाता है। बल्कि बिक्री प्रमाणपत्र पहले से ही पूरा किए गए तथ्य की एक औपचारिक स्वीकृति है, जिसमें कहा गया है कि क्या बेचा गया था। न्यायालय का ऐसा कार्य मूल रूप से एक मंत्रिस्तरीय है और न्यायिक नहीं। यह स्पष्ट के औपचारिकरण की प्रकृति में है।

12. इस विषय पर कानून की स्थिति होने के कारण, हम यह देखने में विफल रहते हैं कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता है कि भले ही बिक्री आदेश 21 नियम 92 सी. पी. सी. के तहत पुष्टि होने पर निरपेक्ष हो जाती है, लेकिन यह केवल तभी पूरा हो सकता है जब आदेश 21 नियम 94 के तहत जारी बिक्री प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और जब तक कि बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, तब तक सीमा अधिनियम, 1963 की तुलना में सी. पी. सी. के आदेश 21

नियम 95 के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए सीमा शुरू नहीं हो सकती है। न्यायालय, हमारे विचार में यह अभिनिर्धारित करने में गलती किया है कि यह केवल उस तारीख से है जब एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, कि सीमा लागू होना प्रारंभ हो जाता है। उच्च न्यायालय के इस तरह के दृष्टिकोण से न केवल सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 134 के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना होगी, बल्कि पहले से तय कानून को अस्थिर करने का प्रभाव पड़ेगा।”

(जोर दिया गया)

10. पैराग्राफ 11 का विचार है कि आदेश XXI के नियम 95 में कुछ भी नहीं है जो खरीदार के लिए आवेदन के साथ बिक्री प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य बनाता है। हालांकि, आदेश XXI के नियम 95 के एक सादे पठन पर, जब तक कि आदेश XXI के नियम 94 के तहत बिक्री का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, नीलामी-खरीदार को आदेश XXI के नियम 95 को लागू करके कब्जे की डिलीवरी के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए, पैराग्राफ 11 में व्यक्त विचार, प्रथम दृष्टया, सही नहीं हो सकता है। उक्त दृष्टिकोण सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 की सरल भाषा द्वारा समर्थित नहीं है।

11. इस स्तर पर, हम यहाँ इस न्यायालय के यूनाइटेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मामला के निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं - पैराग्राफ 11 में, पीठ पट्टम खादर खान के मामले के पैराग्राफ 11 में जो कहा गया है, उसकी शुद्धता के बारे में संदेह व्यक्त किया। यूनाइटेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मामले में निर्णय की कंडिका 11 इस प्रकार है:

"11. सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 95 को सावधानीपूर्वक पढ़ने से, प्रावधान की भाषा संकेत देती है कि अदालत की नीलामी में खरीदी गई संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए आवेदन दायर

किया जा सकता है जहां "आदेश 21 के नियम 94 के तहत उसके संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया गया है"। सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 95 की भाषा को ध्यान में रखते हुए इसके संबंध में एक प्रमाण पत्र नियम 94 में प्रदान किया गया है। न्यायालय, खरीदार के आवेदन पर, वितरण का आदेश देगा। "पट्टम खादर खान मामले [पट्टम खादर खान बनाम पट्टम सरदार खान, (1996) 5 एस. सी. सी. 48] में इस अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के बारे में हमें अपनी शंका है कि" नियम 95 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खरीदार को आवेदन के साथ प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए बाध्य करे "और" कि बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना आवेदन की अनिवार्य शर्त नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए इच्छुक नहीं हैं- क्या बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 95 के तहत आवेदन दायर करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है या नहीं और प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, अपने समक्ष मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि वह इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए, एक समन्वय पीठ पहले ही प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त कर चुकी है कि पट्टम खादर खान के मामले के पैराग्राफ 11 में जो कहा गया है, उस पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।

12. हम पहले ही उन दो शर्तों को नोट कर चुके हैं जिन्हें निष्पादन न्यायालय को नीलामी-खरीदार के पक्ष में कब्जे के वितरण का आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त के रूप में पूरा किया जाना चाहिए। दो शर्तों में से एक यह है कि नीलामी-खरीदार जो कब्जे की डिलीवरी के लिए सी. पी. सी. के आदेश

XXI के नियम 95 के तहत आवेदन करता है, उसके पास सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के तहत जारी बिक्री प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक बार सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के अनुसार नीलामी बिक्री की पुष्टि होने के बाद, निष्पादन न्यायालय, एक वरिष्ठ न्यायालय के निषेधात्मक आदेश के अभाव में, सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के अनुसार नीलामी-खरीदार को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, कानून में एक विशिष्ट समय सीमा का प्रावधान नहीं है जिसके भीतर सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। किसी मामले में, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने में एक लंबी प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है जिसके लिए नीलामी खरीदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वर्तमान मामले में, देरी छह महीने से अधिक की है। पट्टम खादर खान के मामले में बड़े अदब के साथ इस अदालत के फैसले पर हम प्रथम दृष्टया इस विचार से सहमत नहीं हैं कि आदेश XXI के नियम 95 के तहत एक आवेदन सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के अनुसार नीलामी-खरीदार को बिक्री का प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले भी जा सकता है।

13. इसलिए, हमारे प्रथम दृष्टया विचार में, सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के तहत बिक्री की पुष्टि का आदेश नीलामी-खरीदार को सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 को लागू करके कब्जे के लिए आवेदन करने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं देता है। वह ऐसा आवेदन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि निष्पादन न्यायालय बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। हालाँकि सी. पी. सी. आदेश XXI के नियम 95 के तहत बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 134 इस आधार पर आगे बढ़ता है कि नीलामी-खरीदार को सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के तहत की गई बिक्री की पुष्टि के आदेश के आधार पर कब्जे के लिए आवेदन करने के लिए कार्रवाई का कारण उपलब्ध हो जाता है।

14. इसलिए, सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 और सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 134 के प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट विसंगति है। सवाल यह है कि क्या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के नियम का उपयोग असंगति या विसंगति को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि भले ही बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब निष्पादन न्यायालय की ओर से हो, आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन दायर करने में देरी को माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि सीमा अधिनियम की धारा 5 आदेश XXI के तहत दायर आवेदनों पर लागू नहीं होती है।

15. इस न्यायालय के एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के निर्णय की कंडिका 20 और 21 में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उक्त दो कंडिका इस प्रकार हैं:

"20. वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। जहां कानून के शब्द स्पष्ट और संदेह से परे हैं, वहां प्रावधान को बिना किसी शब्द को जोड़े या अस्वीकार किए, इसका स्पष्ट और सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। शाब्दिक नियम से प्रस्थान, संरचनात्मक परिवर्तन करके या एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान में शब्दों को प्रतिस्थापित करके, व्याख्या की आड़ में एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा क्योंकि परिवर्तन वे नहीं हो सकते हैं जो विधायिका का इरादा या इच्छा थी। विधायी विवेक को न्यायाधीश के विचारों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने कुछ अलग संदर्भ में कहा:

"6. जब विधायिका द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, तो यह अदालत के लिए नहीं है कि वह अपने न्याय की धारणा के अनुसार किसी अन्य प्रक्रिया को प्रतिस्थापित

करे। जब विधायिका बोल चुकी होती है, तो न्यायाधीश बुद्धिमान होने का जोखिम नहीं उठा सकते।

(श्री मंदिर सीता रामजी बनाम उप-राज्यपाल दिल्ली [(1975) 4 एससीसी 298], एससीसी पी 301, पैरा 6 देखे)

21. हालाँकि इस सामान्य नियम में एक अपवाद है। जहाँ वैधानिक प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं या जहाँ इसके शब्दों का सादा और सामान्य अर्थ या व्याकरणिक संरचना अन्य प्रावधानों के साथ भ्रम, बेतुकेपन, प्रतिकूलता का कारण बनती है, अदालतें, सादे और व्याकरणिक संरचना को अपनाने के बजाय, शब्दों को जोड़कर या छोड़ कर या प्रतिस्थापित करके स्थिति को सही करने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग कर सकती हैं। जब किसी कानून में स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण प्रावधान का सामना करना पड़ता है, तो अदालतें यह मान लेना पसंद करती हैं कि मसौदा तैयार करने वाले ने यह निष्कर्ष निकालने के बजाय गलती की थी कि विधायिका ने जानबूझकर एक बेतुका या तर्कहीन वैधानिक प्रावधान पेश किया है। सादा और सीधा पढ़ने के शाब्दिक नियम से प्रस्थान हालाँकि केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है, जहाँ विसंगतियाँ किसी प्रावधान के साथ शाब्दिक अनुपालन को असंभव, या बेतुका या इतना अव्यावहारिक बना देती हैं कि प्रावधान के उद्देश्य को ही विफल कर देती हैं। हम बेतुकेपन से बचने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का भी उल्लेख कर सकते हैं और मूल प्रावधानों के संदर्भ की तुलना में प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में तर्कहीनता का उपयोग अधिक सहजता से और आसानी से किया जाता है।

(जोर दिया गया)

16. एक सामान्य नियम के रूप में, कानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय शब्दों को नहीं जोड़ेगा या शब्दों को नहीं छोड़ेगा या शब्दों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। हालाँकि, इस नियम का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद है जो इंको यूरोप लिमिटेड और अन्य बनाम प्रथम विकल्प वितरण (एक फर्म) और अन्य के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय में पाया जाता है, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“अदालत को मसौदा तैयार करने की स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने में सक्षम होना चाहिए। उपयुक्त मामलों में, अपने व्याख्यात्मक कार्य के निर्वहन में न्यायालय शब्दों को जोड़ेगा, या शब्दों को हटा देगा या शब्दों को प्रतिस्थापित करेगा। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण प्रोफेसर सर रूफर्ट क्रॉस के सराहनीय लघुरचना वैधानिक व्याख्या तीसरे संस्करण (1995), पीपी 93 -105 में दिये हैं। वह पृष्ठ 103 में टिप्पणी करते हैं।

“शब्दों को हटाने या डालने में न्यायाधीश वास्तव में मसौदा तैयार करने वाले या विधायिका के इरादों के काल्पनिक पुनर्निर्माण में संलग्न नहीं हैं, बल्कि केवल वैधानिक प्रावधान के पाठ को उसके उचित संदर्भ में और न्यायिक भूमिका की सीमाओं के भीतर पढ़ने का जितना हो सके उतना अर्थ बना रहा है।”

यह शक्ति गलतियों का मसौदा तैयार करने के सादे मामलों तक ही सीमित है। अदालतें हमेशा इस बात को ध्यान में रखती हैं कि इस क्षेत्र में उनकी संवैधानिक भूमिका व्याख्यात्मक है। उन्हें किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम से बचना चाहिए जो न्यायिक कानून के रूप में दिखाई दे सकता है। एक कानून विधायिका द्वारा अनुमोदित और

अधिनियमित भाषा में व्यक्त किया जाता है। इसलिए, अदालतें जोड़ने या हटाने से या शब्दों को प्रतिस्थापित करने से पहले काफी सावधानी बरतती हैं। इस तरह से किसी कानून की व्याख्या करने से पहले अदालत को तीन मामलों के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए: (1) विचाराधीन कानून या प्रावधान का इच्छित उद्देश्य; (2) कि अनजाने में प्रारूपक और संसद प्रश्नगत प्रावधान में उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने में विफल रहे; और (3) प्रावधान का सार संसद ने बनाया होता, हालांकि जरूरी नहीं कि संसद ने सटीक शब्दों का उपयोग किया होता, अगर विधेयक में त्रुटियां देखी गई होती। इनमें से तीसरी स्थिति महत्वपूर्ण है। अन्यथा अधिनियम के अर्थ को निर्धारित करने का कोई भी प्रयास निर्माण और विधान के बीच की सीमा को पार कर जाएगा।”

(जोर दिया गया)

17. सुरजित सिंह कालरा बनाम भारत संघ और एक अन्य के मामले में उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था। पैराग्राफ 19 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"19. यह सच है कि किसी कानून में ऐसे शब्दों को पढ़ने की अनुमति नहीं है जो वहां नहीं हैं, लेकिन "जहां विकल्प या तो निहितार्थ शब्दों की आपूर्ति के बीच है जो गलती से हटा दिए गए प्रतीत होते हैं, या एक ऐसी संरचना को अपनाना जो सभी अर्थों के कुछ मौजूदा शब्दों को वंचित करता है, तो शब्दों की आपूर्ति करने की अनुमति है" (क्रेज वैधानिक कानून, 7 वां संस्करण, पृष्ठ 109)। हमीदिया हार्डवेयर स्टोर बनाम बी. मोहन लाल सौकर [(1988) 2 एस. सी. सी. 513, 524-25] में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें यह कहा गया था कि अदालत को

किसी प्रावधान का अर्थ लगाने वाले शब्दों को आसानी से नहीं पढ़ना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं किया गया है, लेकिन उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें कोई प्रावधान दिखाई देता है और उस कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें उक्त प्रावधान अधिनियमित किया गया है, न्यायालय को इसे सार्थक बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से इसका अर्थ निकालना चाहिए। कानून द्वारा अभिप्रेत समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए। (देखिए: सिराजुल हक खान बनाम सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ [1959 एससीआर 1287, 1299: ए. आई. आर 1959 एस. सी. 198])”

18. सी. पी. सी. के आदेश XXI के प्रासंगिक प्रावधानों पर वापस आते हुए, नियम 92 के उप-नियम (1) और सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 94 के संयुक्त पठन से, यह स्पष्ट है कि आदेश XXI के नियम 92 के उप-नियम (1) के तहत बिक्री की पुष्टि का आदेश आदेश XXI के नियम 94 के तहत बिक्री प्रमाण पत्र के अनुदान में समाप्त होता है। बिक्री प्रमाणपत्र में शामिल की जाने वाली बिक्री की तारीख बिक्री पुष्टिकरण के आदेश के पारित होने की तारीख है। यह तथ्य कि आदेश XXI के नियम 94 में बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता शामिल है, यह दर्शाता है कि विधानमंडल का विचार था कि नीलामी की पुष्टि का केवल आदेश पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्रमाणपत्र अंततः इस तथ्य का प्रमाण है कि जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसके पक्ष में नीलामी की पुष्टि निष्पादन न्यायालय द्वारा की गई है।

19. प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 और सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 134 के बीच असंगति से बचने का एकमात्र तरीका अनुच्छेद 134 में पढ़ना है कि सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन करने का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख है जिस पर नीलामी

बिक्री की पुष्टि दर्ज करने वाला प्रमाण पत्र वास्तव में खरीदार को जारी किया जाता है। इस तरह की व्याख्या तीन परीक्षणों को संतुष्ट करेगी जो इंको यूरोप लिमिटेड और अन्य के मामले में निर्धारित। इसलिए, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि पट्टम खादर खान के मामले में समन्वय पीठ के निर्णय और विशेष रूप से पैराग्राफ 11 में जो निर्णय लिया गया है, उस पर वृहद पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमारे सुविचारित विचार में, वृहद पीठ को सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 95 के तहत आवेदन करने के लिए सीमा के प्रारंभिक बिंदु से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। हम निबंधक (जे. आई.) को इस आदेश की एक प्रति के साथ इस अपील को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं ताकि वह प्रशासनिक पक्ष पर उचित निर्णय ले सकें।

अंकित ज्ञान

मामला बड़ी पीठ को भेजा गया

(सारिका ठाकरे और महेंद्र यादव, सहायकगण द्वारा सहायता प्राप्त)